प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 24.02.2023

श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाइनेन्स कम्पनी से कूटरचित रशीद तैयार कर पैसा हड़पने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट के नेतृत्व में पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/2022 धारा 408/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त घनश्याम पाठक पुत्र भैरव पाठक निवासी दरियापुर बसाई थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा शाखा प्रबन्धक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेन्स कं0 लि0 द्वारा उनके कम्पनी के रिलेशनशिप एक्सीक्यूटिव के पद पर काम करने वाले कर्मचारी द्वारा डिजिटल कूटरचित चालान रसीदो (फिनो एवं एयरटेल पेमेण्ट बैंक) के माध्यम से आनलाइन कंपनी द्वारा इनको दिये गये एमनोवा मोबाइल एप से कंपनी को रिसीव करा दिया जाता था जो कि बैंकिंग के समय फर्जी चालान रसीद होने के कारण कम्पनी के खाते में भुगतान नहीं होता था तथा इसके अलावा इनके द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में लोन रशीद रिसीव कराने के बाद उसका पैसा कम्पनी में जमा नहीं किया जाता है। जब इसकी जाँच कम्पनी के शाखा प्रबन्धक द्वारा किया गया तो उनको घनश्याम पाठक द्वारा कम्पनी के साथ किये गये गबन तथा धोखाधड़ी का पता चला इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

घनश्याम पाठक पुत्र भैरव पाठक निवासी दरियापुर बसाई थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 227/2022 धारा 408/467/468/471 भादवि थाना कैण्ट गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शशिकिरण सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 राजीव यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 रोहित यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर